CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.
1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
फोन/फैक्स : 0522–2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई-मेल : ceglko.up@gmail.com

CEG/P/9/III/38/2024T.C
14.5.2024

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल, उ0प्र0।

2- जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-30/2022 /1313/78-2-2022- ई-268634 दिनांक 17.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार की जो भी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को सीधे इन्टरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। तत्क्रम में निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के पत्रांक-ईगवर्नेन्स/स0प0-1/2024 दिनांक 29.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित है, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 45 विभागों की 319 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसका अनुश्रवण निरंतर उच्च स्तर पर किया जा रहा है।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की निम्न सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से पोर्टल पर इंटीग्रेटेड रूप में आम जनमानस को उपलब्ध करा दी गयी हैं:-

1	Registration cum Issue of I Card to ESM, Windows, their Dependents and Issue of Duplicate I Card
2	Issue of NO Objection Certificate
3	Financial Aid from Datavya Nidhi (Benevolent Fund)
4	One Time /Annuity Payment Gallantry Award to Awardees

4- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त संदर्भित सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने पर निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

5- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही उसी तरह की जायेगी, जिस तरह वे वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल (https://skpn.up.gov.in/online) पर कर रहे हैं।

6- उपरोक्त सेवायें आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-19/2020/1085/78-2-2020-34आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) में निर्धारित यूजर चार्जेज की शुल्क धनराशि रू0 30.00 जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस से प्राप्त की जायेगी, जोकि विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का अंश विभाजन निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	सेवा	यूज़र चार्ज़ का अंश विभाजन (रू0)				
1	विभाग की सेवा	डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज़ (रू0)
		15	03	10	02	30

7- उक्त के क्रम में आवेदक के अनुरोध पर जन सेवा केन्द्रों के अधिकृत जन सेवा केन्द्र संचालक (वी.एल.ई.) द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) के माध्यम से निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के पोर्टल (https://skpn.up.gov.in/online) पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुये सेवा प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Neha Jain
Date: 14-05-2024 23:58:19

(नेहा जैन)
राज्य समन्वयक

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-</u>

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवाओं के सम्बन्ध में विभागीय शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें तथा उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल से भी इंटीग्रेट करायें।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।

4. श्री शैलेष श्रीवास्तव, सीनियर डायरेक्टर, आई.टी., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्रदर्शित करायें।
5. समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की सेवाओं को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करते हुये आम जनमानस को सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. मै0 मार्गसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, लखनऊ।

edistrict.up.gov.in/eDistrict/Commonutility/frmRequestQuota.aspx?DSPID=103&scode=CC&%24xxrtncapporx=UlynihBnVE14UXw+3NBTpBV...

Available Balance to apply integrated services.. **Available Balance : 24**

Request More Quota | Close

Integrated Department Services

Close

Sn	Department	Sn	Department	Sn	Department
1.	Labour Department (Labour Board)	2.	Labour Department 2	3.	Food And Civil Supplies(Ration Card)
4.	Department of Training & Employment	5.	Local Bodies	6.	Lok Shikayat Vibhag(IGRS)
7.	Commercial Taxes (Services Discontinued)	8.	Food & Drug Department	9.	Agriculture Department
10.	Dharmarth Karya Vibhag	11.	**Power Department** 1- Rural (a). Power Department(Complaint Register) (b). Power Department(Other)	12.	Entertainment Tax Department
13.	Police Department	14.	Technical Education Department	15.	Stamp & Registration Department
16.	**Transport Department** a). VAHAN SEVA b). SAARTHI SEVA	17.	Medical Health & Family Welfare Department	18.	Animal Husbandry Department
19.	Vocational Education & Kaushal Vikas Department	20.	UP Public Works Department	21.	Dairy Development Department
22.	Women Welfare and Child Development	23.	Khadi and Gramudyog Board	24.	UP Metrology (weights & measures) Department
25.	Excise Department	26.	Madhyamik Shiksha Parishad	27.	Department of Horticulture and Food Processing
28.	Food Safety and Drug Administration Department	29.	Housing and Urban Planning Department	30.	UP Fire Service
31.	Fisheries Department	32.	Ground Water Department	33.	UPSSB Labour Department
34.	NRI Department	35.	Geology and Mining Department	36.	Planning Department(Application for family ID)
37.	Environment, Forest and Climate Change Department	38.	Youth Welfare & PRD Department services	39.	Sports Department services
40.	Nidashalaya Sainik Kalyan and Punarwaas				

Type here to search 32°C Haze ENG 11:49 07-05-2024

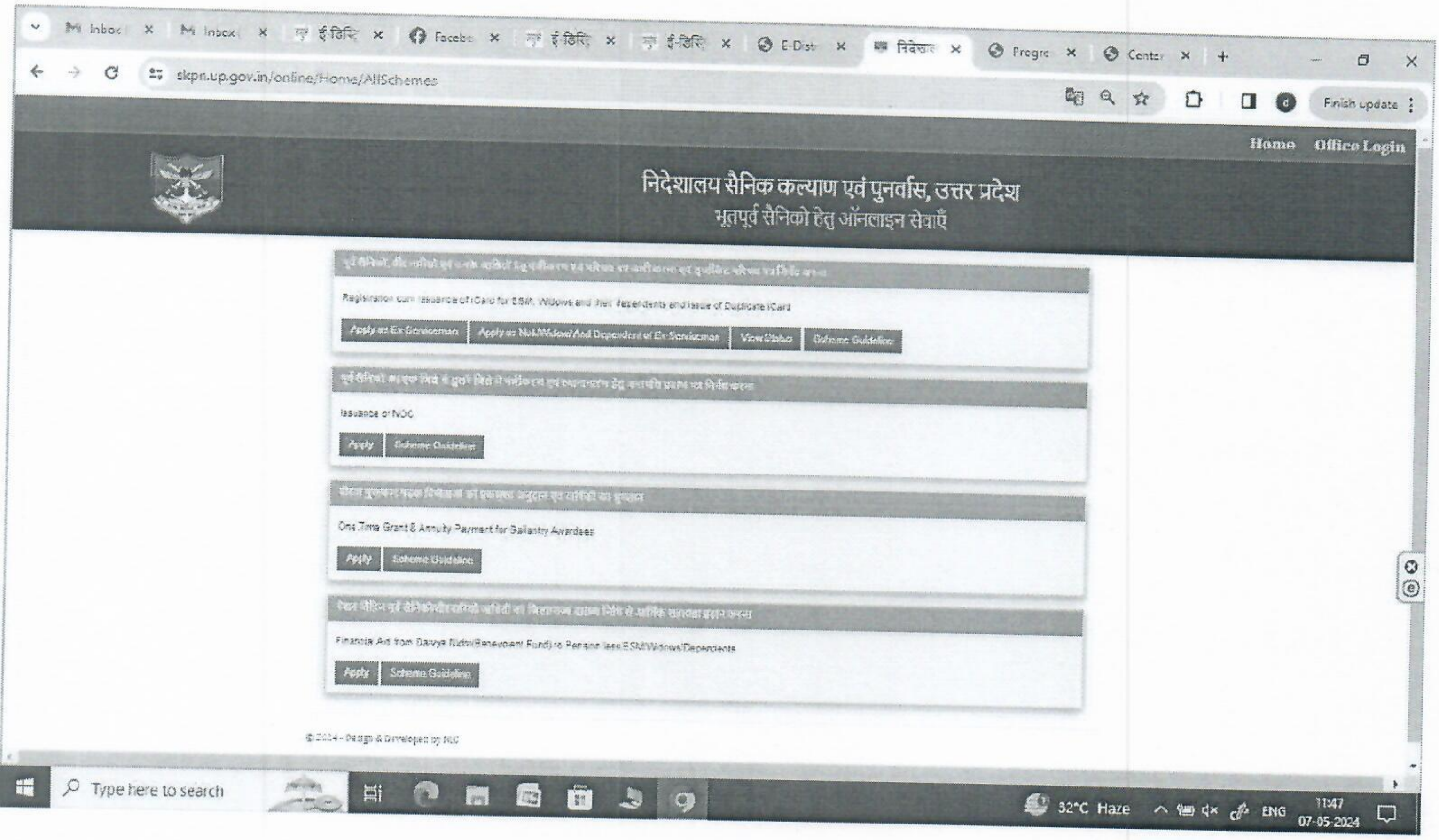

skpn.up.gov.in/online/Home/AllSchemes
Finish update
Home
Office Login
निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश
भूतपूर्व सैनिको हेतु ऑनलाइन सेवाएँ
Registration cum Issuance of iCard for ESM, Widows and their dependents and Issue of Duplicate iCard
View Status
Issuance of NOC
Apply
One Time Grant & Annuity Payment for Gallantry Awardees
Apply
Scheme Guideline
Apply
Scheme Guideline
Type here to search
32°C Haze
ENG
11:47
07-05-2024

महत्वपूर्ण।

संख्या-30 / 2022 /1313/78-2-2022- ई-268634

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्रा
मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/ सचिव,
खाद्य एवं रसद, नगर विकास, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा, श्रम एवं सेवायोजन, परिवहन एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 अक्टूबर,2022

विषयः आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में आम जनमानस को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए सुझाए गये विभिन्न सुधारों हेतु 'ईज ऑफ लिविंग' के अन्तर्गत 'ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरूप पंजीयन तथा स्वीकृतियों /सुविधा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी नागरिक सेवाओं के पंजीयन, स्वीकृतियों, प्रमाणपत्रों इत्यादि को ऑनलाइन प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सीईजी) के माध्यम से एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विन्डो पोर्टल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) विकसित किया गया है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को बी.आर.ए.पी. 2022 में प्रदेश का सिंगल विंडो पोर्टल निर्धारित किया गया है।

2- वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की कतिपय सेवायें जन सेवा केन्द्रों एवं सीधे इंटरनेट के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही हैं। सीएससी 3.0 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में 1.85 लाख से अधिक जन सेवा केन्द्र स्थापित करते हुये इनके माध्यम से भी ये सेवायें आमजनमानस को सुगमता एवं सरलता से उपलब्ध करायी जा रही हैं।

3- भारत सरकार द्वारा बी.ए.आर.पी. 2022 फेज-1 अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं का चयन किया गया है, जिनको प्रदेश के सिंगल विन्डो पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से आमजनमानस को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाना है:-

क्रमांक	सेवा का विवरण	क्रमांक	सेवा का विवरण
1	नया राशन कार्ड	8	मृत्यु प्रमाण पत्र
2	नया ड्राइविंग लाइसेंस	9	जन्म प्रमाण पत्र
3	विवाह पंजीकरण	10	एल0पी0जी0 कनेक्शन
4	भार मुक्त प्रमाण पत्र	11	पीएमजेएवाई / स्टेट हेल्थ कार्ड
5	सेवायोजन हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण	12	आय प्रमाण पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	झटपट पोर्टल (नागरिकों हेतु नए विद्युत कनेक्शन)	13	जाति प्रमाण पत्र
7	पेयजल कनेक्शन	14	निवास प्रमाण पत्र

उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में प्रदेश सरकार की जो भी सेवायें ऑनलाईन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुये आम जनमानस को सीधे इंटरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

4- आम जनमानस द्वारा जन सेवा केन्द्रों एवं ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश विभाजन की व्यवस्था आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-19/2020/1085-78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2022 अनुसार रहेगी।

5- सेवा प्रदाता विभाग आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा दी गयी गाईडलाईन्स के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेशन सुनिश्चित करेंगे।

6- सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को आम जनमानस द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जाने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.up.gov.in पर आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

6.1 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कोर सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1278/78-2-2014-53 आई0टी0/ 2008 टीसी दिनांक 25-11-2014 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2- 2020-आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2022 के अनुसार होगी।

6.2 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

6.2.1 सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु https://edistrict.up.gov.in पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से निर्धारित व्यव्स्थानुसार अपना पंजीयन करेंगे।

6.2.2 पंजीकरण उपरान्त आवेदक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कॉमन एप्लीकेशन फार्म भरा जायेगा, जिसके उपरान्त ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान किया जाना होगा।

6.2.3 आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक भुगतान के उपरान्त सेवा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा विकसित पोर्टल, जो कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है, पर भरी जायेगी।

6.2.4 सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गयी जानकारियां आवेदक द्वारा पुन: नहीं भरायी जायें।

6.2.5 तदोपरान्त आवेदक द्वारा विभागीय ई-फार्म पर इंट्री की जायेगी।

6.2.6 आवेदक ई-फार्म में एण्ट्री करने से पूर्व यह सुनिश्चत करेंगे कि मांगे गये समस्त अभिलेख उसके पास हो।

6.2.7 तत्पश्चात आवेदक आवश्यक अभिलेख को पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता जांचने के उपरान्त, आवेदन फार्म को पोर्टल पर सबमिट करेंगे।

6.2.8 ऑनलाइन ई-फार्म पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक को पोर्टल द्वारा विभागीय प्रक्रिया अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.9 तत्पश्चात यदि विभाग द्वारा सेवा शुल्क निर्धारित है, तो उस दशा में आवेदक द्वारा विभागीय पेमेंट गेट-वे का उपयोग करते हुये अतिरिक्त निर्धारित शुल्क दिया जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6.2.10 पोर्टल द्वारा आवेदक को सफल पेमेन्ट के उपरान्त विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.11 तदोपरान्त आवेदन सम्बन्धित विभाग के पोर्टल पर अग्रसारित कर दिया जायेगा।

6.2.12 सेवा सम्बन्धी विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड सेवाओं हेतु आमजनमानस का पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जायेगा।

6.2.13 तत्पश्चात विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये आवेदन का निस्तारण किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को इंटीग्रेट मोड में ए.पी.आई. द्वारा प्रदान की जायेगी।

7- वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक माह में अधिकतम 10 बार आवेदन करने की व्यवस्था है। उक्त के क्रम में नवीन व्यवस्था में एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 10 बार ही आवेदन किया जा सकेगा।

8- विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक सेवाओं हेतु निर्धारित की गई समयावधि में जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के दायरे में लाया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही नागरिकों को सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या-30/ 2022 /1313 (1)/78-2-2014 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव /सचिव, समस्त विभाग (उपरोक्त विभागों को छोड़कर) को इस आशय के साथ प्रेषित की भविष्य में उनके विभाग की सेवायें ऑनलाईन करते हुये उक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करायी जायें।
2. स्टॉफ ऑफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. निजी सचिव,अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस.आई.ओ.), एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।